

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./17-18/विविध/07/2017-75 दिनांक: 09 जून, 2017
विषय-डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में शहरी टीकाकरण को अलग एजेण्डा के रूप में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण घटक है। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम की सेवाओं के सुदृढीकरण के प्रयासों में वर्तमान में चल रहे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में शहरी टीकाकरण को अलग एजेण्डा के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। शहरी टीकाकरण को वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में सम्मिलित इस उद्देश्य से किया जाना है, जिससे भविष्य में शहरी क्षेत्रों के टीकाकरण सेवाओं पर केन्द्रित होकर एवं वहां पर मौजूद बच्चों का प्रतिरक्षण सुनिश्चित किया जा सके तथा शहरी क्षेत्र के गरीब एवं मलिन बस्तियों में टीकारोधक बीमारियों के कारण होने वाली रूग्णता एवं मृत्यु-दर में कमी लायी जा सके।

शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रक्रियाओं की समीक्षा कर टीकाकरण से सम्बंधित उचित योजना एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में शहरी टीकाकरण को सम्मिलित किया जाना है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के मलिन बस्तियों पर केन्द्रित होकर नियमित टीकाकरण कवरेज सुधारने के लिए क्षेत्र का सीमांकन, प्रतिरक्षण कार्यक्रम के उपलब्धि की समीक्षा, परिचालन बाधाओं की पहचान कर और सुधार करने के लिए सुधारात्मक परिचालन को सुनिश्चित किया जाये।

शहरी टीकाकरण को वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में सम्मिलित करने के दौरान शहरी क्षेत्र के आवश्यकताओं के आधार पर पी०आई०पी० तैयार की जाए तथा इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पी०आई०पी० में शामिल किया जाएगा। साथ ही लक्ष्य निर्धारण, योजनाओं का गठन, बजट निर्धारण एवं प्रक्रिया और परिणाम संकेतक के माध्यम से प्रगति को मापने के मामले में निरीक्षण प्रदान किया जायेगा। 8 शहरी टीकाकरण के चर्चा के दौरान निम्न अधिकारियों को प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

- जिला अधिकारी (अध्यक्ष)
- मुख्य चिकित्साधिकारी (सदस्य सचिव)
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल
- जिला विकास अधिकारी
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी
- नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- परियोजना अधिकारी, डूडा
- नगर स्वास्थ्य अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय
- बेसिक शिक्षा अधिकारी
- जिला विद्यालय निरीक्षक (डी०आई०ओ०एस०)
- जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई०सी०डी०एस०)
- जिला सूचना अधिकारी
- डब्ल्यू०एच०ओ० प्रतिनिधि (एन०पी०एस०पी०)
- यूनीसेफ प्रतिनिधि
- यू०एन०डी०पी० प्रतिनिधि
- आई०एम०एम०/आई०ए०पी० प्रतिनिधि
- आवश्यकतानुसार अन्य सदस्य (Annexure-1)

शहरी टीकाकरण के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाए—

- कवरेज डेटा (एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0), **Monitoring** डेटा और शहरी व स्लम क्षेत्रों में टीका रोधक बीमारियों (VPDs) की विस्तृत समीक्षा के माध्यम से नियमित टीकाकरण (RI) कार्यक्रम में उपलब्धि के प्रदर्शन का आंकलन करें।
- नियमित टीकाकरण के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे—नियमित टीकाकरण का माइक्रो प्लान, ट्रेकिंग और मोबिलाइजेशन प्रयास, वार्ड स्तर व स्लम स्तर टीकाकरण के आपात योजना, प्रशिक्षण की परिस्थिति एवं वेक्सीन कोल्ड चेन लोजिस्टिक्स आदि के गुणवत्ता की समीक्षा करना।
- आई० ई० सी० गतिविधियों द्वारा शहर में टीकाकरण के सेवाओं की मांग एवं सामुदायिक भागीदारी तथा उनके प्रभाव का आंकलन करने के लिए शहरी योजनाओं का समीक्षा की जायेगी।
- नियमित टीकाकरण **monitoring feedback** के आधार पर विशिष्ट, उचित और समयबद्ध कार्यवाही तय की जाए, जिससे टीकाकरण के कवरेज एवं गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- सभी गैर-स्वास्थ्य विभागों को सम्मिलित कर तथा उनके समर्थन द्वारा नियमित टीकाकरण कवरेज में सुधार किया जाय।
- पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के कार्यों पर कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी।

विस्तृत रूपरेखा—

1. टीकाकरण कार्यक्रम के योजना एवं क्रियान्वयन से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा कर टीकाकरण कवरेज में सुधार लाने के लिए उचित परिचालन कदम लेना सुनिश्चित करें। साथ ही मौजूदा माइक्रोप्लान (दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की संख्या, वार्ड का मानचित्रण, UPHC स्तर की योजना का गठन, क्षेत्रों का सत्यापन एवं उनका सीमांकन) टीकाकरण कार्यक्रम की उपलब्धी, कार्यक्रम के परिचालन में आ रही बाधाओं को चिन्हित कर एवं किये गए उचित प्रयासों की समीक्षा भी सुनिश्चित करें, जिससे टीकाकरण कार्यक्रम का कवरेज शहरी क्षेत्र में बढ़े।
2. मॉनिटरिंग डेटा, कवरेज डेटा (HMIS / MCTS) और वैक्सीन रोधक बीमारियों की घटित संख्या की विस्तृत समीक्षा के माध्यम से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के उपलब्धि का आंकलन करें।
3. उच्च प्राथमिकता वाले वार्डों/तात्कालिक सुधार के आवश्यकता वाले क्षेत्रों में एक वरिष्ठ जिला स्तर के अधिकारियों को तैनात कर उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें।
4. शहरी टीकाकरण को वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में सम्मिलित होने के दौरान शहरी क्षेत्र के आवश्यकताओं के आधार पर पी0आई0पी0 तैयार की जाए तथा इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पी0आई0पी0 में शामिल किया जाएगा। साथ ही लक्ष्य निर्धारण, योजनाओं का गठन, बजट निर्धारण एवं प्रक्रिया और परिणाम संकेतक के माध्यम से प्रगति को मापने के मामले में निरीक्षण प्रदान किया जायेगा।
5. अर्बन के लिए एक अच्छा पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करें।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बीमारी के फैलने की दशा में समय से उसका पता चले, जांच हो तथा सूचना दर्ज की जाए।
7. **Monitoring feedback** के आधार पर विशिष्ट, उचित तथा समयबद्ध कार्रवाई तय किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे टीकाकरण कवरेज और गुणवत्ता में सुधार हो।
8. सभी गैर-स्वास्थ्य विभाग का समर्थन सुनिश्चित करें।
9. सभी **stakeholders** के समन्वय हेतु एक मंच का गठन करें तथा टीकाकरण के क्रियान्वन में चिन्हित अवरोधकों के लिए नवीन समाधान करें। क्रियान्वित हुए किसी भी नए पहल का एक अच्छा दस्तावेज तैयार करें तथा उपयोगी दस्तावेज, छाया चित्र, डाटा को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना सुनिश्चित करें। क्रियान्वित हुए पहल का परीक्षण राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उचित पाए जाने पर सम्बंधित जिले के प्रयासों को सरहाते हुए उक्त पहल का विस्तार अन्य जिला/राज्यों में किया जायेगा।
10. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी एवं समुदाय में कार्यक्रम की मांग बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा करना।

11. नियमित टीकाकरण एवं समय-समय पर आयोजित किए गए अभियानों द्वारा टीकाकरण के कवरेज में हो रहे सुधारात्मक प्रगति में मीडिया को सम्बद्ध करें।
12. वार्ड वार, UPHC वार, वैक्सिनेटर वार साधारण मॉनिटरिंग साधन जैसे मॉनिटरिंग चार्ट, सुपरविजन चेकलिस्ट, ट्रेकिंग बैग इत्यादि की तैयारी एवं इस्तेमाल सुनिश्चित करें।
13. रहे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स से सम्बन्धित कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उपस्थिति दस्तावेज, कायवृत्त एवं एजेंडा मुख्य प्रतिभागियों को अग्रसारित करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि State Task Force on Immunization/SEPIO (sepioup@gmail.com), GM RI(gmriup2016@gmail.com) को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार),
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./17-18/विविध/07/
प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष कार्यकारी समिति, जिला स्वास्थ्य समिति।
1. अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, रतन स्क्वायर, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, अरबन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. महाप्रबन्धक एन0यू0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
5. महाप्रबन्धक कम्यूनिटी प्रोसेस, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
6. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. आर0टी0एल0/आर0आई0ओ0, डब्ल्यू0एच0ओ0/एन0पी0एस0पी0, लखनऊ।
8. कार्यक्रम अधिकारी, यूनीसेफ, 3/258, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ।
9. प्रतिनिधि आई0टी0एस0यू0, नई दिल्ली।
10. डा0 अहमद अब्बास आगा, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर, यू0एन0डी0पी0, लखनऊ।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक